रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2017/फाल्गुन 16, 1938
No. 163]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2017/PHALGUNA 16, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 203(अ).—संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार संविदा श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको राजपत्र, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आपेक्ष या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, भारत सरकार और महानिदेशक (श्रम कल्याण), श्रम और रोजगार मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली – 110011 को भेजें

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम संविदा श्रम (विनियम और उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 82 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"82. (1) प्रत्येक संविदाकार, इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रारूप XXIV में एकीकृत वार्षिक विवरणी उस वर्ष, जिससे यह संबंधित है, की समाप्ति के बाद 1 फरवरी को या उसके पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेब पोर्टल पर अपलोड करेगा ।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत स्थापन का प्रत्येक प्रधान नियोजक एकीकृत वार्षिक विवरणी को उस वर्ष, जिससे यह संबंधित है, की समाप्ति के बाद 1 फरवरी को या उसके पूर्व अपलोड करेगा ।

(3) प्रधान नियोजक या संविदाकार संबद्ध प्राधिकारियों को एकीकृत वार्षिक विवरणी भी उस वर्ष, जिससे यह संबंधित है, की समाप्ति के बाद 1 फरवरी, को या उसके पूर्व शारीरिक रूप से फाइल करेगा ।

(4) यदि, नियोजक रजिस्टरों या अभिलेखों या रिपोर्टों का इलैक्ट्रॉनिक रूप में रख-रखाव करता है, की दशा में, तो ऐसे रजिस्टरों या अभिलेखों पर भी, संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन रखे जाने वाले किसी रजिस्टर या अभिलेख के प्रयोजन के लिए निरीक्षक द्वारा विचार किया जाएगा और निरीक्षण के लिए उन्हें पेश किया जाना अपेक्षित होगा ।

3. मूल नियम में, प्ररूप XIV और प्ररूप XV का लोप किया जाएगा ।

4. मूल नियम में, प्ररूप XXIII के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

एकीकृत वार्षिक विवरणी प्ररूप 'XXIV'

संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) (केन्द्रीय) नियम, 1971

[नियम 82(1) और (2) देखें]

क्रम संख्या – 'क' साधारण भाग

(क) **स्थापन का नाम**--
स्थापन का पताः गृह सं./फ्लैट सं.-- गली/प्लॉट सं.----------------------
उपनगर--------------जिला-----------राज्य--------- पिनकोड----------

(ख) **नियोजक का पता**--
उपनगर----------- जिला------------------- राज्य---------------- पिनकोड------------------------

ईमेल आईडी------------------- टेलिफोन सं.------------------ मोबाईल सं.-----------------------

(ग) **स्थापन में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक या व्यक्ति का नाम**---------------------------------------

पताः गृह संख्या/फ्लैट सं.-------------------- गली/प्लॉट सं.-------------------------------------

उपनगर----------- जिला------------------- राज्य---------------- पिनकोड------------------------

ईमेल आईडी------------------- टेलिफोन सं.------------------ मोबाईल सं.-----------------------

क्रम संख्या 'ख' नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन नियोजक का रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या

क्र. सं.	नाम	रजिस्ट्रीकरण		यदि हां, रजिस्ट्रीकरण सं.
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम,1996			
2.	संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970			
3.	अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1970			

4.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952			
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
6.	खान अधिनियम, 1952 – कोयला खान विनियम, 1957 या खान और खनिज विनियम, 1961 के विनियम 3 के अधीन खुलने की सूचना			
7.	कारखाना अधिनियम, 1948			
8.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनयम, 1961			
9.	दुकान और स्थापन अधिनियम (राज्य अधिनियम)			
10.	तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि			

क्र. सं. ग, प्रधान नियोजक, संविदाकार और संविदा श्रम के ब्यौरे

1.	संविदाकार के स्थापन के मामले में प्रधान नियोजक का नाम	
2.	स्थापन के प्रारंभ होने की तारीख	
3.	वर्ष के दौरान स्थापन में लगे हुए संविदाकारों की संख्या	
4.	वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिनको संविदा श्रम नियोजित किया गया था	
5.	वर्ष के दौरान संविदा श्रम द्वारा किए गए कार्य के श्रम दिवसों की कुल संख्या	
6.	प्रबंधक अभिकर्ता (खानों के मामले में) का नाम	
7.	**पताः** गृह संख्या/फ्लैट सं.-------------- गली/प्लॉट सं.--------------------उपनगर----------- जिला------------------- राज्य---------------- पिनकोड------------------------ ईमेल आईडी------------------- टेलिफोन सं.------------------ मोबाईल सं.-------------------	

क्र. सं. घ कार्य दिवस और सप्ताह दिवस

1.	वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या	
2.	वर्ष के दौरान कार्य किए श्रमों दिवसों की संख्या	
3.	कार्य के दैनिक घण्टे	
4.	विश्राम का साप्ताहिक दिवस	

क्र. सं. ड. वर्ष के दौरान किसी दिन में नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या

क्र.सं.	पुरूष	स्त्री	किशोर (14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच)	बालक (14 वर्ष की आयु से कम)	योग

क्र. सं. च मजदूरी दर (प्रवर्गवार)

प्रवर्ग	मजदूरी की दर	कर्मकारों की संख्या							
		नियमित				संविदा			
		पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर	पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर
अति कुशल									
कुशल									
अर्ध कुशल									
अकुशल									

क्र. सं. छ (क) संदायों के ब्यौरे:-

संदत्त सकल मजदूरी		कटौती			संदत्त शुद्ध मजदूरी	
नकद रूप में	वस्तु रूप में	जुर्माना	नुकसान या हानि के लिए कटौती	अन्य	नकद रूप में	वस्तु रूप में

(ख) ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी प्रदान की गई थी

क्र. सं	वर्ष के दौरान	कर्मकारों की संख्या	मजदूरी सहित छुट्टी मंजूर की गई

क्र. सं ज कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं के ब्यौरे

क्र. सं	प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं की प्रकृति	कानूनी (परिनियम विनिर्दिष्ट करें)

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है और मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने स्थापन को लागू श्रम विधियों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान----------------------- तारीख------------------------ यहाँ हस्ताक्षर करें-----------------

[सं. एस-16011/2/2014-एलडब्ल्यू]

राजीत पुनहानी, संयुक्त सचिव/महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पण: संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 191, तारीख 10 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार उन्हें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41(अ), तारीख 21 जनवरी, 1999 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 203(E).—The following draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 35 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India and Director General (Labour Welfare), Ministry of Labour & Employment, Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect of the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation & Abolition) Central (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contract Labour (Regulation & Abolition) Central Rules, 1971 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 82, the following rule shall be substituted, namely:-

"82. (1) Every contractor shall upload a Unified Annual Return in the Form XXIV specified in these rules, on the web portal of the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the close of the year to which it relates.

(2) Every principal employer of a registered establishment shall upload a Unified Annual Return on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.

(3) The principal employer or contractor shall also file a Unified Annual Return to the concerned authorities manually on or before the 1st day of February following the close of the year to which it relates.

(4) In case, if, the employer maintain registers or records or reports in electronic form, such registers or records or reports shall also be taken into consideration by the inspector for the purpose of examination of any register or record required to be kept under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and the rules made thereunder and require the production thereof for inspection."

3. In the principal rules, form XIV and form XV shall be omitted.

4. In the principal rules, after Form XXIII, the following form shall be inserted, namely:—

UNIFIED ANNUAL RETURN FORM-'XXIV'

Contract Labour (Regulation and Abolition) (Central) Rules, 1971

[See rule 82(1) and (2)]

S.NO. A. General part:

(a) **Name of the establishment** ____

Address of the establishment: House No./Flat No. __________ Street/ Plot No._____
Town______ District_______ State_____ Pin Code_____

(b) Name of the employer ____

Address of the employer: House No./Flat No.___________Street/ Plot No._____ Town______
District_______ State________ Pin Code _____________________

E-mail ID_______________Telephone No. ____________Mobile No.__________

(c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of the establishment ____

Address: House No./Flat No.________________Street/Plot No.__________ Town______
District____________State__________Pin Code________________

E-mail ID ______________Telephone No.__________Mobile No._____________

S.No. B **Employer's Registration/ License number under the Acts mentioned in column (2) of the Table below:**

S.No	Name	Registration		If yes (Registration No.)
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.			
2.	Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.			
3.	Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979.			
4.	Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.			

5.	Employees' State Insurance Act, 1948.			
6.	Mines Act, 1952- Notice of opening under Regulation 3 of Coal Mines Regulation, 1957 or Regulation 3 of MMR 1961.			
7.	Factories Act, 1948.			
8.	Motor Transport Workers Act, 1961.			
9.	Shops and Establishments Act (State Act).			
10.	Any other Law for the time being in force.			

S. No. C **Details of Principal Employer, Contractor and Contract Labour:**

1.	Name of the principal employer in the case of a contractor's establishment.	
2.	Date of commencement of the establishment.	
3.	Number of contractors engaged in the establishment during the year.	
4.	Total Number of days during the year on which contract labour were employed.	
5.	Total number of man-days worked by contract labour during the year.	
6.	Name of the Manager Agent (In case of mines).	
7.	**Address** House No./Flat No.________Street/Plot No. _________Town_______ District_______ State_________Pin Code ______________ E-mail ID ____________Telephone Number_______________ Mobile Number______________________	

S. No. D **Working hours and week day:**

1.	Number of working days during the year.	
2.	Number of man-days worked during the year.	
3.	Daily hours of work.	
4.	Weekly day of rest.	

S.No. E **Maximum number of persons employed in any day during the year.**

Sl. No.	Males	Females	Adolescents (between the age of 14 to 18 years.)	Children (below 14 years of age.)	Total

S.No.F **Wage rates (Category Wise):**

Category	Rates of Wages	Number of workers							
		Regular				Contract			
		Male	Female	Children	Adolescent	Male	Female	Children	Adolescent
Highly Skilled									
Skilled									
Semi-skilled									
Un-skilled									

S.No.G (a) Details of Payments:-

Gross wages paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year.

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

S.No.H Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

DECLARATION

It is to certify that the above information is true and correct, and I also certify that I have complied with all the provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

PLACE________________ DATE______________ SIGN. HERE______________

[F. No. S-16011/2/2014-LW]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy./ Director General (Labour Welfare)

Note : The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 191, dated the 10th February, 1971 and lastly amended vide notification number G.S.R. 41(E),dated the 21st January,1999.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.11 10:16:30 +05'30'